–:: विज्ञापन ::–

1. रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रं	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या मे से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद	कुल योग
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रयोगशाला परिचारक	180	51	138	61	54	15	41	18	36	10	28	12	30 (OL, HH)	430
2	भृत्य	88	25	67	30	26	7	20	9	18	5	13	6	15 (OA, OL, B, LV, HH)	210
3	चौकीदार	88	26	67	29	26	7	20	8	18	5	13	6	-	210
4	स्वीपर	12	4	10	4	3	1	3	1	2	1	2	1	2 (OA, OL, LV, HH)	30
	योग	368	106	282	124	110	31	85	36	74	21	56	25	47	880

Abbreviation Used : OL- One Leg, HH-Hearing Handicapped, OA- One Arm, B- Blind, LV- Low Vision,

टीप – उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा

2. पदनाम तथा वेतनमानः –

(1) **प्रयोगशाला परिचारक**

सेवा श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी

वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 (18000–56900/–)

(2) **भृत्य**

सेवा श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी

वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 (15600–49400/–)

(3) **चौकीदार**

सेवा श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी

वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 (15600–49400/–)

(4) **स्वीपर**

सेवा श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी

वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 (15600–49400/–)

Scanned with CamScanner

3. परिवीक्षा अवधि :–

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

नोट :– वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।

4. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें :–**

(1) प्रयोगशाला परिचारक –

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) भृत्य –

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) चौकीदार –

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

(4) स्वीपर –

किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण।

5. **आयु सीमा–**

1. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक **01.01..2023** को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो।
2. उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशो के तहत छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला तथा अन्य अभ्यर्थियों को शासन के निम्नानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी:–

2.1 यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट,

2.2 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3–1/2016/1–3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

2.3 छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

3. ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो।**

   स्पष्टीकरण:– "छंटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य जो इस राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

4. ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
5. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

6. राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं " को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रसित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

8. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 650/209/2022/एक–3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिये उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

6. महत्वपूर्ण टीप :–

I. सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

II. आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ के मूल/स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

III. आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जावेगीं।

IV. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

V. आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण हेतु कक्षा पांचवी/आठवीं/दसवीं की अंकसूची (जन्मतिथि हेतु अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं) धारित करना अनिवार्य है।

7. जाति प्रमाण पत्र :–

I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल/स्थानीय निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

II. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।

III. अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का वही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष (2021–2022, 2020–2021 तथा 2019–2020) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र पर आधारित हो।

8. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :

I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें

Scanned with CamScanner

अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज संत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

II. यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा, परन्तु परीक्षा पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिये आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. **अनर्हता :–**

छत्तीसगढ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 06 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

I. कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये की ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

II. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाये।

III. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।

10. **आवेदन की प्रकिया :–**

1. विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें। किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से कार्यालय को प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।
2. ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यथियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मार्गदर्शी निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रविष्टियॉ की जाये।
3. भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन भरना होगा एवं उक्त आवेदन पत्र में पदों के लिए स्वयं की वरीयता का चयन करना होगा।

   उदाहरण स्वरूप– अभ्यर्थी के द्वारा भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर तीनों पदों के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे तीनो पदों के सामने चयन हेतु इच्छुक पद पर "हॉ" का चयन करना होगा। इसके उपरांत सभी चयनित पदों का वरीयता कम दर्शाने के लिए कमांक 1, 2 एवं 3 का चयन करना होगा।
4. प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु पृथक से ऑनलाईन आवेदन भरना होगा।
5. कंडिका 2 एवं 3 के पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र विभाग के वेबसाइट WWW.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध होगें। इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 12.10.2023 से 10.11.2023 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकेगें। अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 11.11.2023 से 15.11.2023 को समय सायं 5.00 बजे तक त्रुटि सुधार का एक अवसर उपलब्ध रहेगा।

11. **चयन प्रक्रिया :–**

I. चयन हेतु विभाग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विवरण परिशिष्ट "एक" एवं "दो" पर संलग्न है।

Scanned with CamScanner

II. भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर के पदों हेतु संयुक्त भरती परीक्षा आयोजित की जावेगी। संयुक्त परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट कम में आवेदकों को प्रथम चयनित वरियता का पद आंबटित किया जावेगा।

III. प्रयोगशाला परिचारक के पद की लिखित परीक्षा पृथक से आयोजित की जावेगी।

IV. लिखित परीक्षा के आधार पर पदवार चयन सूची विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी एवं चयनित आवेदकों को अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी भी वेबसाईट पर दी जायेगी।

V. सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने अथवा निर्धारित अर्हता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य/अपात्र माना जायेगा। निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सत्यापन के लिये उपस्थित नहीं होने पर आवेदकों का चयन निरस्त माना जावेगा। उपरोक्तानुसार अयोग्य/अपात्र अथवा अनुपस्थित उम्मीदवारों का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जावेगा।

12. विज्ञापित रिक्त पदों हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी/स्थानीय निवासी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।

13. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता/फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।

14. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रति (02 प्रतियों में) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तो के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

16. **परीक्षा आयोजन की तिथि पृथक से विभाग के वेबसाईट पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।**

17. **लिखित परीक्षा हेतु पात्र पाये गये उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे उम्मीदवार स्वतः डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।**

18. **आवेदन पत्र** :– आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति संबंधी समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं या नहीं ? (यदि किसी आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन सूची से नाम/नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।)

19. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का होगा।

20. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग का होगा।

———000———

Scanned with CamScanner